**संख्या:10/ 2018/300/35-4-2018**

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 20 मार्च,2018

विषय: वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या-112/35-4-2014 दिनांक 21 जनवरी,2014 द्वारा **सैंफई में विद्युत वितरण व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से संबंधित परियोजना** को रू. 3337.50 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1335.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-62/2015/198/35-4-2015 दिनॉक 20 फरवरी,2015 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 1335.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-95/2016/424/35-4-2016 दिनॉक 21 मार्च,2016 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 500.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, इटावा के पत्र संख्या-232/डीएसटीओ/त्व0आ0 वि0यो0/2017-18 दिनॉक 12 मार्च,2018 द्वारा उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई जॉच आख्या के आधार पर पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त परियोजना की अनुमोदित लागत रू. 3337.50 लाख के सापेक्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू. 3170.62 लाख को समायोजित करते हुये अवशेष देय धनराशि रू. 166.88 लाख (रूपये एक करोड़ छाछठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी,2014, 20 फरवरी,2015 तथा 21 मार्च,2016 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- कार्यों के लिये अवमुक्त धनराशि को ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
4- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2018 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आर.एन.एस.यादव )
विशेष सचिव।

संख्या:10/2018/300(1)/35-4-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकरी, इटावा।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से,

( आर.एन.एस.यादव )
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in